



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 127-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/2017

दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

### कार्यालय झाप

कारपोरेशन कार्यरहित में एतद्वारा वैद्युत एवं यांत्रिकी संवर्ग के निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित तैनाती निगम/तैनात कार्यालय (यथा प्रयोज्य) से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित निगम को आवण्टित/कार्यालय में तैनात (यथा प्रयोज्य) किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधीक्षण अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर नियुक्त होंगे :-

| क्र० सं० | नाम/अभिज्ञान सं० गृह जनपद/से०नि० की तिथि | वर्तमान पदनाम एवं तैनाती निगम/कार्यालय                                   | प्रोन्नति पश्चात पदनाम एवं आवण्टित निगम/तैनाती कार्यालय                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                                          |
| 1        | श्री संजय वर्मा/88007/वाराणसी/30.06.2023 | अधिशासी अभियन्ता, स्पैट, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ | अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता (पीपीए), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।<br>(का०ज्ञा०सं०-125-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/17 दि० 13.10.2017 के क्रम सं०-2 में आंशिक सशोधन) |

1. उक्त आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
2. उपरोक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
3. निगम को आवण्टित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
4. नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 127-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० ऊर्जा मंत्री/मा० उर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्वल/मध्यान्वल/पूर्वान्वल/पश्चिमान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रान्समिशन का०लि०।
7. विधि अधिकारी/उप विधि अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
10. उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा  
  
(अरुण कुमार राय)  
उप सचिव (2अ)